झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2075 वर्ष 2020

पर्मिला देवी उर्फ प्रमिला देवी .. .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. उपायुक्त, धनबाद

3. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद

4. भारतीय राष्ट्रीय राजर्मा प्राधिकरण, नई दिल्ली, अपने अध्यक्ष के माध्यम से

5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विधान नगर, जिला–दुर्गापुर (पं0 बंगाल)

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री रामचंदर साहू, अधिवक्ता

राज्य के लिए: एस0सी0 (एल एंड सी)–II के ए0सी0

आदेश संख्या 4 **दिनांकः06/01/2021**

वर्तमान मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है।

वर्तमान रिट याचिका को संचालित करते हुए याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास न्यायाधिकरण, हजारीबाग को एल0ए0 वाद संख्या 258 वर्ष

2019 में तेजी लाने और निपटाने के निर्देश देने की सीमा तक प्रार्थना को सीमित करते हैं।

वर्तमान रिट याचिका में की गई याचिकाकर्त्ता की पूर्वोक्त सीमित प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग–सह–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक प्राधिकारी, को निर्देश दिया जाता है कि जैसे ही कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति सामान्य हो जाती है तो एल0ए0 वाद संख्या 258 वर्ष 2019 की सुनवाई में तेजी लाया जाय और बिना किसी अनुचित देरी के उसी का निपटान किया जाय। उक्त मामले के पक्षकार, इस वाद के समय पर निष्पादन हेतु प्राधिकरण के साथ सहयोग करेंगे।

तद्नुसार, रिट याचिका को पूर्वोक्त निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)